अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–07–114/2013

अपीलार्थी – श्रीमती अनीता कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1802/प्रो0 दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में शिकायत/आरोप यह है कि किशनपुर परियोजना के केन्द्र सं0–134 भोगी लाल घर के निकट केन्द्र संचालन में अनियमितता के संबंध में दिनांक 2.06.2012 को 09:40 बजे पूर्वाह्न में औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय केन्द्र पूर्णतः बंद था,

उक्त अनियमितताऐं होने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1382/प्रो0 दिनांक 20.09.2012 द्वारा सेविका श्रीमती अनिता कुमारी एवं सहायिका श्रीमती ममता कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया एवं निर्धारित तिथि 28.09.2012 को सेविका/सहायिका को अपना स्पष्टीकरण जबाव पक्ष रखने हेतु निर्देशित भी किया गया। निर्धारित तिथि को सेविका/सहायिका ने अपना जबाव भी समर्पित किया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए सेविका श्रीमती अनिता कुमारी को चयन मुक्ति के साथ–साथ विगत छह माह की पोषाहार राशि वसूली का आर्थिक दंड

भी दिया गया।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया, एवं साक्ष्य, सबूत पेश किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जाँच पदाधिकारी A.D.M.(आपदा) के द्वारा दिनांक 02.06.2012 को 9:40 बजे दिन में केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र बंद पाया गया, एवं सेविका पर अनुपस्थित का आरोप लगाया गया। जबकि वास्तविक्ता यह थी कि सेविका लाभुक बच्चों को पोषक क्षेत्र से लाने चली गई थी, चूँकि केन्द्र की सहायिका Pregnancy के अंतिम दिनों में रहने कारण, एवं अचानक पेट में दर्द होने के कारण अनुपस्थित थी, तथा सेविका क्षेत्र से बच्चा लाकर केन्द्र का संचालन समुचित ढ़ग से की है जिसे लाभुक वर्ग के लोगो ने लिखकर दिया है कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण दिन सुबह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण लाभुक बच्चों को लाने में थोड़ा विलंब हुआ, किन्तु उस दिन भी केन्द्र पर लाभुक बच्चों को पूरक पोषाहार एवं स्कूल पूर्व शिक्षा दिया गया है, जिसे वहां के (केन्द्र) के मुखिया/वार्ड सदस्य/सरपंच ने लिखकर दिया है कि निरीक्षण तिथि 02.06.2012 को भी केन्द्र का संचालन समुचित ढ़ग से किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (आपदा) 25 मिनट के अंदर कई केन्द्रों का निरीक्षण किए जो संभव नहीं है क्योकि एक केन्द्र से दुसरे केन्द्र स्कूल की दुरी कई मील/किलोमीटर में है, जो संभव नहीं प्रतीत होता है उनके द्वारा गलत समय दर्शाया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा पारित विभिन्न न्याय निर्णयों से स्पष्ट है कि एक दिन के लिए अनुपस्थिति प्रतिवेदन पर चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। C.W.J.C.No- 317/2014 C.W.J.C.No- 19486/2011 इत्यादि विभिन्न निर्णय अवलोकनीय ।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि माह जून 12 में केन्द्र संचालन का समय समय 8:00 बजे से 12 बजे दिन तक होना निर्धारित है और निरीक्षण 9:40 बजे किया गया सेविका को केन्द्र पर बच्चों को बुलाने में 1 घंटे 40 मिनट लग गए, तब तक केन्द्र खुला न था, यहां तक सेविका की लापरवाही स्पष्ट उजागर होती है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के

आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रश्नगत केन्द्र की सेविका श्रीमती अनिता कुमारी द्वारा केन्द्र संचालन में न तो सजग है और न ही मुस्तैद रहती है, जब वह यह जानती थी कि सहायिका कई महीने से Pregnancy में है एवं अंतिम समय है तो उसे सजगता से कुछ घंटे /समय से पूर्व पहले से लाभुक बच्चों को लाने की कोशिश करनी चाहिए, केन्द्र संचालन का समय जून 12 में 8:00 बजे से 12:00 तक होता है, तो केन्द्र 9:40 बजे तक न खुलना सेविका का उस समय तक केन्द्र पर न होना उसकी कार्य अक्षमता का परिलक्षित करता है, लाभुको का बयान लेना तो After thought सोची–समझी रणनीति है जब कोई आँगनबाड़ी सेविका पर कोई आरोप लगता है तो वे अपने को बचने– बचाने के लिए उस हिसाब से कागज–तैयार करवा लेते है यहाँ भी यही हुआ है। निर्धारित समय पर केन्द्र का नहीं खुलना, केन्द्र को बंद रखना, लाभुक बच्चों का नहीं रहना ये, सेविका की अर्कमण्यता/अक्षमता को प्रदर्शित करता है। अतः विभागीय मार्गदर्शिका के पत्रांक 2012/956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका 1 के क्रमाक (1) एवं (2) के आधार पर चयन मुक्ति आदेश निम्न न्यायालय के ज्ञापांक 1802 /प्रो0 दिनांक 20.12.2012 को यथावत बनाये रखने का आदेश संपुष्ट किया जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा